



बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ- 226025.

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidaya Vihar Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्र संख्या: 174/हिं.प्र./बीबीयू/17
दिनांक: 10/7/2017

कार्यालय जापन

विषय- तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना प्रत्येक तिमाही में मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग को भेजनी होती है। पिछले तिमाही के प्रतिवेदनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ ऑकड़ों का आपस में मिलान नहीं हो रहा था। अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ऑकड़ों का मिलान एवं सत्यापन कर लें।

आपसे अनुरोध है कि अपने संकाय/विभाग/ अनुभाग की 01 अप्रैल से 30 जून 2017 तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट संग्रह प्रपत्र में भरकर अविलम्ब hindiadhikari@bbau.ac.in पर ई-मेल करें या हिंदी प्रकोष्ठ में प्रेषित करें। जिससे कि इसे संकलित कर समेकित रूप में मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राजभाषा विभाग को भेजा जा सके।

र.य. (डि.)
कुलसचिव

वितरण: निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित

- 01- अनुभाग अधिकारी, माननीय कुलपति महोदय।
- 02- समस्त संकायाध्यक्ष।
- 03- निजी सचिव-कुलसचिव
- 04- वित्त अधिकारी।
- 05- परीक्षा नियंत्रक
- 06- पुस्तकालयाध्यक्ष।
- 07- समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
- 08- कुलानुशासक।
- 09- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
- 10- अधिशाषी अभियन्ता,
- 11- समस्त प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग।
- 12- वि. वि. वेबसाइट

हिंदी अधिकारी

संकाय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

* मद सं. 01 से 10 तक की सूचनाएं सभी संकाय/विभाग/अनुभाग द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाए।

* क, ख व ग क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है।

[(01अप्रैल- 30 जून), 2017 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. हिंदी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को 'ख' क्षेत्र को 'ग' क्षेत्र को
2. अंग्रेजी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को 'ख' क्षेत्र को 'ग' क्षेत्र को
3. हिंदी में प्राप्त कुल पत्र की संख्या- 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र से
4. उपरोक्त हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में अंग्रेजी में.....
5. अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्र की संख्या- 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र से
6. उपरोक्त अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में अंग्रेजी में.....
7. फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या - हिंदी में अंग्रेजी में.....
8. धारा 3(3) के तहत जारी किए गए कागजात की संख्या -
9. कार्यालय में प्रयोग होने वाली रबड़ के मोहरों की संख्या- हिंदी में अंग्रेजी में..... द्विभाषी
10. वर्ष के दौरान खरीदी गई पुस्तकों का मूल्य - हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी पुस्तकों का

संकाय/विभाग/ अनुभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

हिंदी अधिकारी, बीबीएयू

भाषाई आधार पर 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में बांटे गए राज्य

'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

'ख' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब चंडीगढ़ दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: 'क' और 'ख' क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सभी राज्य।

राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात

1- सामान्य आदेश-ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो स्थायी प्रकार के हों और कर्मचारियों के समूह के लिए जारी किये जा रहें हों। साथ ही ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोजन के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों 2- अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन) 3-प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पणियां 4- संविदा (कांट्रैक्ट) 5- करार (एग्रीमेन्ट) 6- लाइसेन्स 7- परमिट 8- टेंडर फार्म एवं नोटिस 9- संकल्प (रेजाल्यूश) 10- नियम 11- संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागज 12- प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट आदि।